रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-12022026-270064
CG-CG-E-12022026-270064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947
No. 644] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 9 फरवरी, 2026

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ड.) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 678(अ).—केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राज पत्र, असाधारण भाग ॥ खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 5756, तारीख 22/12/2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उप बन्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-नैला जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात **"बिलासपुर डिवीजन: चांपा-बालपुर के बीच किमी.671/10-12 पर एल.सी. संख्या सी.जी.-5 के स्थान पर आर.यू.बी./एल.एच.एस. का निर्माण ।"** के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना क्रमांक 5756, तारीख 22/12/2025 का दैनिक भास्कर (हिन्दी) बिलासपुर संस्करण, नवभारत (हिन्दी) बिलासपुर संस्करण, हितवाद (अंग्रेजी) रायपुर संस्करण एवं कोरबा बालको टाइम्स (हिन्दी) कोरबा संस्करण में तारीख 02.01.2026 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 कि धारा 20(ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसंलग्न अनुसूची में लिखित भूमि अधिग्रहित की जाती है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्नों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

(अ) रेल परियोजना **"बिलासपुर डिवीजन: चांपा-बालपुर के बीच किमी.671/10-12 पर एल.सी. संख्या सी.जी.-5 के स्थान पर आर.यू.बी./एल.एच.एस. का निर्माण ।"** के अधिग्रहण के लिए भूमि का संक्षिप्त विवरण.

1. ग्राम – बालपुर, तहसील – चांपा, जिला – जांजगीर-नैला (छ.ग.)

क्र.	खसरा न.	भूमि का स्वामित्व	भूमि का प्रकार	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे.) में	भूमि स्वामी का नाम
1.	680/1	निजी	कृषि	0.008	रामकृष्ण पिता बोधराम
2.	681/1	निजी	कृषि	0.012	देवेन्द्र कुमारी बेवा बजरंग
3.	681/2	निजी	कृषि	0.008	सीताराम पिता सालिकराम
4.	684	निजी	कृषि	0.073	खेलबाई बेवा माधो प्रसाद
5.	685/2	निजी	कृषि	0.012	हरिराम पिता ताराचंद
6.	685/3	निजी	कृषि	0.105	ब्रिजबाई पति राधेलाल
कुल भूमि (बालपुर)				**0.218**	

[फा. सं. डीवाई.सी.ई./जीएसयू/बीएसपी/आरयूबी /सीजी-5/20(ड.)/1]

संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 9th February, 2026

Notification Under Section 20E of the Railway Act 1989

S.O. 678(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number 5756, dated 22/12/2025, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely **"Bilaspur Division: Construction of RUB/LHS in lieu of LC No. CG-5 at Km.671/10-12 between CHAMPA - BALPUR."** in the state of Chhattisgarh.

And, whereas, the substance of the said notification Number 5756, dated 22/12/2025, was published in the daily newspapers, Dainik Bhaskar (Hindi) Bilaspur edition, Nav Bharat (Hindi) Bilaspur edition, Hitavada (English) Raipur edition and Korba Balko Times (Hindi) Korba edition on 02.01.2026 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act,

And whereas, no objection was received within the set time period.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section I) of Section 20E of the said Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances,

A. **"Bilaspur Division: Construction of RUB/LHS in lieu of LC No. CG-5 at Km.671/10-12 between CHAMPA - BALPUR."** Brief description for the acquisition.

1. Village Name – Balpur, Tehsil – Champa, District – Janjgir-Naila (C.G.)

Sl. No.	Khasra No.	Ownership	Type of Land	Acquired Land Area (in Hect)	Name of Land Owner
1.	680/1	Private	Agriculture	0.008	Ramkrishna S/o Bodhram
2.	681/1	Private	Agriculture	0.012	Devendra Kumari W/o Late Bajrang
3.	681/2	Private	Agriculture	0.008	Sitaram S/o Salikram
4.	684	Private	Agriculture	0.073	Khelbai W/o Late Maadho Prasad
5.	685/2	Private	Agriculture	0.012	Hariram S/o Tarachand
6.	685/3	Private	Agriculture	0.105	Brijbai W/o Radhelal
Total Land (Balpur)				**0.218**	

[F. No. DY.CE/GSU/BSP/RUB/CG-5/20E/1]

SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.12 14:34:56 +05'30'